(वाद सं0–24/4/26/2020)

26.11.2021

प्रसंगाधीन मामला, परिवादी, विजय कुमार साव, को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दिनांक–01.08.2016 से दिनांक–08.09.2016 तक संविदा सहायक के पद पर किये गये कार्य के बदले पारिश्रमिक के भुगतान से संबंधित है।

उक्त पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार से प्रतिवेदन की मांग की गयी।

प्रतिवेदनानुसार परिवादी की संविदा अवधि दिनांक–01.08.2014 से दिनांक–31.07.2016 (65वर्ष की आयु तक) तक के लिये विस्तारित की गयी थी। पुनः परिवादी द्वारा 67वर्ष की आयु तक अर्थात् 2वर्षो के लिये संविदा पर पुनर्नियोजन के लिये आवेदन दिया गया जिसे सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा अस्वीकृत कर दिये जाने के कारण परिवादी का संविदा पर नियोजन दिनांक–01.08.2016 के प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। अपने नियोजन के समाप्ति के बाद भी परिवादी द्वारा अनाधिकृत रूप से कार्यालय के उपस्थिति पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज करते रहे जिसके आधार पर परिवादी द्वारा राज्य आयोग से उक्त अनधिकृत अवधि के पारिश्रामिक भुगतान करवाने के लिये अनुरोध किया जा रहा है, जो अनुचित है।

उक्त पर परिवादी से प्रत्युत्तर की मांग की गयी। पुनः परिवादी द्वारा इस आधार पर उक्त अवधि के पारिश्रमिक के भुगतान का दावा किया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा संविदा के आधार पर नियोजन की उम्र सीमा 67वर्ष कर दी गयी है।

प्रसंगाधीन मामला, सरकारी सेवा में संविदा के आधार पर नियोजन से संबंधित है। परिवादी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिया गया कि उसकी संविदा की अवधि 65वर्ष से बढ़ाकर अब 67वर्ष तक कर दी गयी है।

सरकारी कार्यालयों में सेवा से संबंधित मामलों में बिना कोई साक्ष्य/आधार के उक्त के संबंध में राज्य आयोग के स्तर से कोई आदेश/निर्देश/अनुशंसा किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर राज्य अयोग के स्तर से संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक